

(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) अग्रिम के लिए आवेदन APPLICATION FOR LTC ADVANCE

1.	सरकारी कर्मचारी का नाम			
	Name of Government Servant (In Block Letters)			
2.	पदनाम एवं विभाग का नाम			
	Designation & Name of Department			
3.	कर्मचारी कोड संख्या.			
	Employee Code No.			
4.	मोबाइल नंबर/संपर्क नंबर			
	Mobile No./Contact No.			
5.	केंद्र सरकार की सेवा ग्रहण करने की तिथि			
	Date of Entering in the Central Govt. Service			
6.	वेतन स्तर और मूल वेतन			
	Pay Level and Basic Pay			
7.	अप्रिम राशि इनमें से किस प्रयोजन हेतु ली जा रही है?	🔲 गृहनगर		भारत में कहीं भी
	Specify the advance taken for which one?	Hometown		Anywhere in India
8.	(ए) सेवा पुस्तिका में दर्ज गृहनगर			
	(a) Hometown as recorded in the Servicebook			
	(बी) निकटतम रेलवे स्टेशन			
	(b) Nearest Railway Station			
9.	क्या पत्नी/पति सेवारत है? यदि हाँ, तो क्या वे अवकाश यात्रा		हाँ /नहीं	
	रियायत सुविधा के हकदार हैं?			
	Whether wife/husband is employed if so,	•	Yes/No	
10	whether he/she entitled to take LTC			
10.	क्या गृहनगर जाने के लिए रियायत का उपयोग किया जाना है? यदि		हाँ नहीं।	
	हाँ, तो किस ब्लॉक वर्ष के लिए अवकाश यात्रा रियायत का	(a) ब्लॉक वर्ष	Yes/No.	
	उपयोग करना है?	· /		
	Whether concession is to be availed for visiting	Block Year		
	Hometown, if yes, specify Block Year for			
11.	which LTC is to be availed क्या अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग 'भारत में किसी भी स्थान'		हाँ /नहीं	
11.	की यात्रा के लिए किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उस स्थान का नाम			
	और वह ब्लॉक वर्ष निर्दिष्ट करें जिसके लिए अवकाश यात्रा		Yes/No	
	रियायत का उपयोग किया जा रहा है।	(a) विज़िट किए जाने वाले	τοπ -	
	Whether concession is to be availed for visiting	` '	त्याग	
	'Anywhere in India", If Yes, Specify the places	Places to be visited (b) ভূলাঁক বৰ্ष		
	to be visited and block year for which LTC to	Block Year		
	be availed	DIUCK I CAI		
12.	अवकाश की प्रकृति		·	
	Nature of Leave to be mentioned			



(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

13.	यात्रा की प्रस्तावित तिथि			
	Proposed Date of Onward Journey			
14.	वापसी यात्रा की प्रस्तावित तिथि			
	Proposed Date of Return Journey			
15.	परिवार के उन सदस्यों का विवरण जिनके द्वारा अवकाश यात्रा			
	रियायत का उपयोग किया जाना है।	नाम Name	आयु	संबंध
	Particular for family members with respect of whom LTC is Proposed to be availed		Age	Relationship
	whom ETC is Troposed to be availed			
16.	मुख्यालय से गृहनगर/यात्रा स्थल तक लघुतम मार्ग का एकतरफा			
10.	रेल/हवाई/बस किराया।			
	Single Rail/Air/Bus fare from Headquarters to			
	Hometown/Place of visit by shortest route.			
17.	आवश्यक अग्रिम राशि			
	Amount required as an Advance			
		1		
1.	अवकाश यात्रा रियायत सहित अर्जित अवकाश के नकदीकरण का	विवरण		
	Details of Encashment of earned leave along with	th LTC		
	 व. नकदाकरण हतु आवादत आजत अवकाश का संख्या (प्र 	भात वष आधकतम 10 दिन) :		
Nos of Earned Leave applied for encashment (Max. 10 days per y				
	b. नकदीकरण किए गए दिनों की संख्या (वर्तमान वर्ष को ह	ष्ट्रोड़कर) (कुल 60 दिन):		
	Nos of days already encashed (Excluding	g current Year) (Total	60 Days):	
2.	मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान औ	र विश्वास के अनसार सत्य और	र सही है।	
		· ·		1 11 1
	I declare that the particulars furnished above are	true and correct to the	e best of n	ny knowledge and
	belief.			
दिनांट	ī:	कर्मचारी के हस	नाक्षर एवं न	IH
		•	•	
Date:		Signature &N	ame of the	Employee



(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

निर्देश INSTRUCTIONS

- (1) परिवार के जिन सदस्यों के लिए अवकाश यात्रा रियायत का दावा किया जा रहा है, वे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी तरह मुझ पर निर्भर हैं।
 - The members of the family for whom LTC is being claimed are fully dependent upon me as per government of India rules/guidelines issued from time to time.
- (2) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी/मेरा पत्नी/पित सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और वह इसके लिए अलग से दावा नहीं करेंगे।
 - I certify that my wife/husband is a/is not a Government servant and he/she will/will not claim the same separately.
- (3) मैं/मेरे परिवार के सदस्य अवकाश यात्रा रियायत नियमों के अनुसार अपनी पात्रता के अनुरूप मुख्यालय से एक इच्छित स्थान/गृहनगर और वापसी यात्रा लघुतम मार्ग से करेंगे।
 - I/my family members will travel as per my entitlement from the HO to one intended place/hometown and back, by the shortest route as per LTC rules.
- (4) मैं समझता/समझती हूँ कि छुट्टियाँ रद होने की स्थिति में 48 घंटों के भीतर पूरा अग्रिम भुगतान वापस कर दिया जाना है।
 - I understand the refund the advance in full within 48 hours in the event of the leaves being cancelled.
- (5) मैं समझता/समझती हूँ कि आवक और जावक दोनों यात्रा के लिए किराये का 90% तक अग्रिम ही लिया जाता है और परिवार के सदस्य की अनुमानित अनुपस्थिति 90 दिनों से अधिक नहीं होगी।
 - I understand that Advance up to 90% of the fare is taken for both onward and return journey and the anticipated absence of the member of the family will not exceed 90 days.
- (6) मैं अग्रिम आहरण की तिथि से 10 दिन के भीतर हवाई/रेल टिकट संख्या/पीएनआर संख्या प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।
 - I will furnish Air/Rail ticket no./PNR no. with 10 days from the date of drawl of advance.
- (7) मैं वापसी यात्रा की तिथि से एक महीने के भीतर अवकाश यात्रा रियायत दावा प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।। यदि नहीं, तो बकाया अग्रिम एकमुश्त वसूल किया जाएगा और दावे में किसी भी अग्रिम पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, वसूली की तिथि से संपूर्ण अग्रिम पर जीपीएफ ब्याज पर 2% की दर से दांडिक ब्याज लिया जाएगा।
 - I will submit the LTC claim within one month from the date of return journey. If not, outstanding advance will be recovered in one lump sum and claim will be treated as one where no advance will be considered. Further, panel interest @ 2% over GPF interest on the entire advance from the date of the recovery will be charged.

दिनांक:	कर्मचारी का नाम एवं हस्ताक्षर
Date:	Signature &Name of the Employee



(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

	सबाधत ।	लिपिक (वित्त एवं लेखा)	द्वारा भरा जाना है				
		Filed by Dealing Cl					
(1) रु. के किराये की राशि के लिए कर्मचारी पात्र है X 02 X टिकटों की संख्या							
Amount entitled for fare of Rs X 02 X No. of tickets (2) रु. का स्वीकार्य अग्रिम स्वीकृत किया जाता है।							
Advance admissible of Rs may be sanctioned.							
दिनांक:				संबंधित लिपिक के हस्ताक्षर			
Date:			Sign	ature of Dealing Clerk			
अनुभाग अधिकारी (बिल) द्वारा टिप्पणियाँ Remarks by SO (Bills)			संवितरण एवं आहरण अधिकारी द्वारा टिप्पणियाँ Remarks by DDO				
दिनांक:	हस्ताक्षर:		 दिनांक:	हस्ताक्षर:			
Date:	Sign.		Date:	Sign.			
	ाये की अग्रिम राशि (90% के ब (equal	, ,	•	ed.			
दिनांक :			वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर				
Date:			Signature of Finance Officer				
90% अग्रिम स्वीकार्य	है और चेक संख्या	दिनांक	के माध्यम से भुगत	ान किया गया है और क्रम संख्य			
पृष्ठ	संख्या पर	र अवकाश यात्रा रियायत अ	ाग्रिम पंजिका में सूचीबद्ध किय	ा गया।			
	admissible and paid vid	le cheque no.	dated	and listed in			
90% advance is a LTC Advance Re	egister vide SI No	1 age 110.					
90% advance is a LTC Advance Re	egister vide SI No	1 age 110.					
90% advance is a LTC Advance Re	egister vide SI No	1 age No.					
90% advance is a LTC Advance Re	egister vide SI No	Tage No.					
90% advance is a LTC Advance Re	egister vide SI No	1 age 110.					